

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक-रा0आ0आ0 (वाद) 08/2020-683

राँची, दिनांक-29.10.2020

कोर्ट नोटिस

प्रेषित,

अध्यक्ष / सचिव,

जनवितरण प्रणाली दुकानदार,

प्रगतिशील किसान स्वयं सहायता समूह,

पं0-मंझिलाडीह, प्रखण्ड-बिरनी, गिरिडीह।

विषय:-

शिकायतकर्ता श्रीमती अनोखी देवी, ग्राम-विशुनपुर, पंचायत-मंझिलाडीह, प्रखण्ड-बिरनी, जिला-गिरिडीह से प्राप्त शिकायतपत्र पर सुनवाई के सम्बन्ध में।

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि शिकायतकर्ता अनोखी देवी, ग्राम-विशुनपुर, पंचायत-मंझिलाडीह, प्रखण्ड-बिरनी, जिला-गिरिडीह ने आयोग के समक्ष आपके द्वारा राशन कार्ड में दर्ज यूनिट से कम मात्रा में राशन दिये जाने संबंधी शिकायत दर्ज कराया है। जिसके आलोक में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-06.11.2020 को अपराह्न 2.30 बजे निर्धारित की गई है।

अतः उक्त निर्धारित तिथि एवं समय में आप स्वयं आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

झारखण्ड सरकार  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक-रा0आ0आ0 (वाद) 08/2020-

राँची, दिनांक-

कोर्ट नोटिस

प्रेषित,

अध्यक्ष / सचिव,

जनवितरण प्रणाली दुकानदार,

प्रगतिशील किसान स्वयं सहायता समुह,

पं0-मंझिलाडिह, प्रखण्ड-बिरनी, गिरिडीह।

विषय:-

शिकायतकर्ता श्रीमती अनोखी देवी, ग्राम-विशुनपुर, पंचायत-मंझिलाडीह, प्रखण्ड-बिरनी, जिला-गिरिडीह से प्राप्त शिकायतपत्र पर सुनवाई के सम्बन्ध में।

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि शिकायतकर्ता अनोखी देवी, ग्राम-विशुनपुर, पंचायत-मंझिलाडीह, प्रखण्ड-बिरनी, जिला-गिरिडीह ने आयोग के समक्ष आपके द्वारा राशन कार्ड में दर्ज यूनिट से कम मात्रा में राशन दिये जाने संबंधी शिकायत दर्ज कराया है। जिसके आलोक में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-06.11.2020 को अपराह्न 2.30 बजे निर्धारित की गई है।

अतः उक्त निर्धारित तिथि एवं समय में आप स्वयं आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना करना सुनिश्चित करें।

विभवासभाजन

ह0/-

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक:- रा0आ0आ0 (वाद) 08/2020-

683

राँची, दिनांक-29-10-2020

प्रतिलिपि:- श्री शंभू कुमार, राज्य प्रमुख, प्रज्ञा केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रज्ञा केन्द्र को अपने स्तर से पत्र प्राप्त कराते हुए शिकायतकर्ता श्रीमती अनोखी देवी, ग्राम-विशुनपुर, पंचायत- मंझिलाडीह, प्रखण्ड-बिरनी, जिला- गिरिडीह को नोटिस की प्रति हस्तगत कराने तथा उन्हें यह स्पष्ट कर देंगे की शिकायतकर्ता को किस प्रज्ञा केन्द्र में उपस्थित होना है। पत्र की प्रति अध्यक्ष/सचिव, जनवितरण प्रणाली दुकानदार, प्रगतिशील किसान स्वयं सहायता समुह, पं0-मंझिलाडिह, प्रखण्ड-बिरनी, गिरिडीह को भी हस्तगत करा दें। साथ ही कृत कार्रवाई एवं तामीला प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।